राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3258/2023
मुरारी लाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. अति. आयुक्त एवं उप सचिव–।।, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
5. श्री राजेश कुमार जाटव, अति. ब्लॉक विकास अधिकारी जरिये अति. आयुक्त एवं उप सचिव–।।, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदोन्नति के उपरांत स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है एवं अपीलार्थी को पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर से पंचायत समिति बहरोड़, अलवर स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा रखा है एवं अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की पदोन्नति पूर्व में आदेश दिनांक 10.02.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा की गई थी एवं पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। ऐसे में वर्तमान आदेश नवीन पदोन्नति उपरांत पदस्थापन आदेश नहीं है, बल्कि स्थानांतरण आदेश है, जो स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में जारी किया गया है।

2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी की पदोन्नति पूर्व में आदेश दिनांक 10.02.2023 को विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर अति. विकास अधिकारी के पद पर की गई थी। उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 10.02.2023 में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया था :–

> ''उक्त पदोन्नति अति. विकास अधिकारी अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही अपनी शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि हेतु सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत कर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को प्रेषित करेंगे। इन्हें रिक्ति की दिनांक से काल्पनिक एवं पदोन्नति पर कार्यग्रहण की दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा।''

3. अतः उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी को पदोन्नति के समय पदोन्नत पद पर उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया गया, जहां पर वो पूर्व में कार्यरत था। वर्तमान पदस्थापन आदेश पदोन्नति के पश्चात प्रथम बार किया गया पदस्थापन आदेश है, जो नवीन पदोन्नति उपरांत किया गया है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का पदोन्नति उपरांत दूसरी बार स्थानांतरण किया गया हो। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग का जो आज्ञा पत्र दिनांक 04.01.2023 है, उसके द्वारा केवलमात्र स्थानांतरण के संबंध में प्रतिबंध लागू किया गया है। उक्त आज्ञा को नवीन पदोन्नति पश्चात पदस्थापन पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हम अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में बल नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी का जो स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, वह प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण पर प्रतिबंध आदेश के कारण दुषित हो। अतः नवीन पदोन्नति उपरांत पदस्थापन के आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

4. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)